



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ / Northern Regional Office, Chandigarh



फाइल नम्बर : 9-HR081/2019-CHA

दिनांक : 21.10.2019

सेवा में,

नोडल अधिकारी (FC) एवं वन संरक्षक
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
C- 18, वन भवन, सेक्टर 6,
पंचकुला हरियाणा

विषय: Diversion of 7.52 ha of forest land in favour Executive Engineer, Provincial Division, PWD B&R Br., Panchkula for widening and strengthening of Jagadhari-Bilaspur-Sadhaura-Raipur Rani rod upto Mouli (SH 1) km. 54.00 to 67.40, under Forest Division Morni Pinjore and District Panchkula, Haryana (online proposal no. FP/HR/ Road/40850/2019)

सन्दर्भ: 1. नोडल आफिसर एवं वन संरक्षक के पत्र संख्या प्रशा डी तीन 8925/2593 दिनांक 30.09.2019.
2. Minutes of the REC meeting held on 30.09.2019

महोदय,


मुझे आपका ध्यान उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित संदर्भांकित पत्र की ओर दिलाने का निर्देश हुआ है, जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा- 2 के अनुसार गैर वानिकी उद्देश्य के लिए 7.52 ha वन भूमि की मांग की गई है।

2. इस प्रस्ताव पर Regional Empowered Committee meeting में चर्चा की गई और REC द्वारा निम्नलिखित आवश्यक जानकारी भेजने की मांग की है:-

i) Nodal Officer (FCA), Haryana should analysis the whole proposal afresh and re-submit after making necessary corrections.

3. उपरोक्त जानकारी इस पत्र के जारी होने के पश्चात 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत करे जिसके प्रस्तुत न करने की स्थिति के अभाव में इस प्रस्ताव को रद्द किया जा सकता है।

भवदीय


(एस०डी० शर्मा)

उप-वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:

1. Divisional Forest Officer, Forest Division Morni Pinjore and District Panchkula , Haryana
2. The Executive Engineer, Provincial Division, PWD B&R Br., Panchkula